भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3938

उत्तर देने की तारीख 18 मार्च, 2020

ग्रामीण डाक जीवन बीमा

3938. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :
डॉ. सुभाष रामराव भामरे :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ :
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :
श्री डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस. :
श्री कुलदीप राय शर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) योजना का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आरपीएलआई के अंतर्गत प्रस्तावित किए जाने वाले बीमा उत्पादों के विभिन्न प्रकारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा बेचे गए ऐसे बीमा उत्पादों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या हाल की अवधि के दौरान आरपीएलआई के अंतर्गत बेची गई पॉलिसियों की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में आरपीएलआई का दायरा बढ़ाने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों की तर्ज पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया (दर्पण) परियोजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इसके अंतर्गत अब तक कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

उत्तर

संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री संजय धोत्रे)

(क) जी, हां। सरकार ने ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के उद्देश्य को काफी हद तक प्राप्त कर लिया है। आरपीएलआई योजना के तहत, सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बीमा कवर प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों और महिला कामगारों को विशेष रूप से लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, 250.36 लाख आरपीएलआई पॉलिसियां हैं, जिनमें से 80 लाख पॉलिसियां, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाओं को जारी की गई हैं।

(ख) ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) योजना के तहत प्रदान किए गए छ: (6) प्रकार के बीमा उत्पादों का ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

उत्पाद का नाम	ग्राम सुरक्षा (आजीवन बीमा)	ग्राम संतोष (बंदोबस्ती बीमा)	ग्राम सुविधा (परिवर्तनीय आजीवन बीमा)	ग्राम सुमंगल (प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा)	ग्राम प्रिया	ग्राम बाल जीवन बीमा (बाल पॉलिसी)
परिपक्वता आयु/पॉलिसी की अवधि	80 वर्ष की आयु होने पर अथवा मृत्यु, जो भी पहले हो	35,40,45,50,55,58 की पूर्व निर्धारित आयु पर अथवा 60 वर्ष	5 वर्षों के बाद बंदोबस्ती बीमा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है	15 वर्ष अथवा 20 वर्ष की पॉलिसी अवधि	10 वर्ष पॉलिसी अवधि	परिपक्वता आयु : 18 से 25 वर्ष
प्रवेश आयु सीमा (वर्षों में)	19 से 55	19 से 55	19 से 45	19 से 40	20 से 45	बालक : 5 से 20 वर्ष माता-पिता : अधिकतम 45 वर्ष

बीमित राशि सीमा (रुपयों में)	10,000 से 10,00,000	10,000 से 10,00,000	10,000 से 10,00,000	10,000 से 10,00,000	10,000 से 10,00,000	20,000 से 1,00,000
उत्तरजीविता लाभ	-	-	-	अवधि 15 वर्ष : 6, 9, 12 वर्षों में 20% और शेष राशि परिपक्वता अवधि पर अवधि 20 वर्ष : 8, 12 और 16 वर्ष में 20% और शेष राशि परिपक्वता अवधि पर	4 और 7 वर्ष में 20% और शेष राशि परिपक्वता अवधि पर	-
ऋण सुविधा	4 वर्ष के बाद	3 वर्ष के बाद	4 वर्ष के बाद			

पिछले तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016-17, वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19) में प्रत्येक वर्ष के दौरान, डाक सर्कल-वार (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) जारी की गई आरपीएलआई पॉलिसियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं। आरपीएलआई के तहत बेची गई पॉलिसियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4,05,793 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5,23,899 और वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7,72,650 हो गई।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में आरपीएलआई का आधार बढ़ाने के लिए आरपीएलआई बिक्री बल, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक, विभागीय कर्मचारी और डायरेक्ट एजेंट शामिल हैं, को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इन-हाउस प्रशिक्षण और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त भारतीय बीमा संस्थान, मुम्बई के सहयोग से लाइसेंसिएट प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ड.) देशभर में डाकघरों का इष्टतम उपयोग करने के लिए, डाक विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी 1,29,076 शाखा डाकघरों में 'नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों का डिजिटल उन्नयन' (दर्पण) परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत, शाखा पोस्टमास्टरों को ऑनलाइन डाक और वित्तीय लेन-देन करने के लिए सिम आधारित हस्तचालित उपकरण प्रदान किए गए हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार, दर्पण उपकरणों के माध्यम से 34,728 करोड़ रु. की राशि के 29 करोड़ से अधिक लेन-देन कार्य किए गए हैं।

अनुबंध -I

"ग्रामीण डाक जीवन बीमा" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़, श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील, श्री डीएनवी. सेंथिलकुमार एस. और श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा 18.03.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3938 के पैरा (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान डाक सर्कल-वार (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र) जारी की गई आरपीएलआई पॉलिसियां

क्रम सं.	सर्कल का नाम	वित्तीय वर्ष		
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**
1.	आंध्र प्रदेश	34728	66615	80679
2.	असम	5445	8309	32263
3.	बिहार	10628	17303	24265
4.	छत्तीसगढ़	13272	23372	21495
5.	दिल्ली (संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली सहित)	1351	2373	2102
6.	गुजरात (संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव सहित)	9069	13055	30495
7.	हरियाणा	3150	4579	4950
8.	हिमाचल प्रदेश	9308	11076	11609
9.	जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख सहित)	2640	1565	2894
10.	झारखण्ड	2752	14006	16444
11.	केरल (संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप सहित)	11029	23327	36108
12.	कर्नाटक	47278	41336	79929
13.	महाराष्ट्र	28753	35770	51123
14.	मध्य प्रदेश	29579	32629	53377
15.	पूर्वोत्तर (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड एवं त्रिपुरा राज्यों सहित)	24215	7603	13314
16.	ओडिशा	9313	26760	37395
17.	पंजाब (संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ सहित)	7677	7560	13710
18.	राजस्थान	14938	9673	14236
19.	तमिलनाडु (संघ राज्यक्षेत्र पुदुच्चेरी सहित)	92072	59102	120209
20.	तेलंगाना	7735	29916	21769
21.	उत्तर प्रदेश	26290	25727	28297
22.	उत्तराखंड	7035	7989	13310
23.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सहित)	7536	54254	62677
	कुल	**405793**	**523899**	**772650**

*****